(क) क्या बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी के जल के बंटवारे और बाण सागर परियोजना के संबंध में वर्ष 1973 में एक अंतर्राज्यीय समझौता हुआ था;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश द्वारा अपने भाग के जल का सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिए परियोजना निर्माणाधीन है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा तीनों के बीच जल के बटवारे और जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति का अध्यक्ष कौन है और तीनों राज्यों के किस स्तर के व्यक्ति इस समिति के सदस्य हैं और उनके नाम क्या हैं, क्या उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अत्यंत कठिनाई का सामना किया जा रहा है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश द्वारा नियोजित 3 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं सिंचाई के वास्ते जल के उनके स्वयं के हिस्से का इस्तेमाल करने के लिए निर्माणाधीन हैं।

(ग) और (घ) बेसिन राज्यों के बीच सोन जल के बंटवारे के लिए परस्पर स्वीकार्य प्रस्तावों को तैयार करने के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की गई थी। अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इस समिति के अध्यक्ष थे। तीन राज्यों के प्रमुख इंजीनियर इस समिति के सदस्य थे। अंतर राज्यीय मुद्दों का समाधान न होने के कारण बेसिन की कुछ परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जा सकीं।

Ground water availability in the country

2625. SHRI ANANTA SETHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have made any estimate on the ground water availability in the country;

(b) if so, the State-wise and region-wise details thereof;

(c) whether any effort is being made at the national level for the optimum utilisation of the available water resources in the country;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the steps taken particularly to utilise the monsoon runoff?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) State-wise availability of replenishable ground water resources is given in the enclosed statement. (*See* below)

(c) to (e) The Union Government has taken various policy and programme initiatives for the optimum utilisation of available water resources in the country. These include adoption of National Water Policy (1987), Command Area Development Programme, preparation of National Perspective Plan for transfer of water from surplus basins to water deficit areas, water management practices promoting efficient and economic use of water for various purposes, emphasis on water conservation through various methods including use of latest technologies and people's participation in management of water for diverse use, setting up of National Commission for Integrated Water Resources Development Plan in September, 1996 as well as launching of Accelerated Irrigation Benefits Programme since 1996-97 for expeditious completion of selected ongoing major and medium irrigation and multipurpose projects. Government is also promoting rain water harvesting and watershed management to replenish ground water.

Statement

State-wise availability of replenishable ground water resources.

Sl.No.	States/UTs	Total replenishable Ground Water Resources (mham/Yr)
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	3.52916
2.	Arunachal Pradesh	0.14385
3.	Assam	2.47192
4.	Bihar	3.35213
5.	Goa	0.02182
6.	Gujarat	2.03767
7.	Haryana	0.85276
08.	Himachal Pradesh	0.03660

1	2	3
9.	Jammu & Kashmir	0.44257
10.	Karnataka	1.61857
11.	Kerala	0.79003
12.	Madhya Pradesh	5.08892
13.	Maharashtra	3.78673
14.	Manipur	0.31540
15.	Meghalaya	0.05397
16.	Mizoram	
17.	Nagaland	0.07240
18.	Orissa	2.00014
19.	Punjab	1.86550
20.	Rajasthan	1.27076
21.	Sikkim	
22.	Tamil Nadu	2.63912
23.	Tripura	0.06634
24.	Uttar Pradesh	8.38210
25.	West Bengal	2.30923
	Total States	43.14769
Union Territories		
1.	Andaman & Nicobar	
2.	Chandigarh	0.002966
3.	Dadar & N. Haveli	0.004220
4.	Daman & Diu	0.001300
5.	NCT Delhi	0.029154
6.	Lakshadweep	0.000243
7.	Pondicherry	0.002877
	Total UTs	0.040760
	Grand Total	43.18850

मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा के लिए बृहद सिंचाई परियोजनाएं

2626. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा राज्यों के लिए बृहद सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में कोई विस्तृत रिपोर्ट जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितनी परियोजनाएं राज्य सरकारों के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा लम्बित पड़ी परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र सरकार को सम्बद्ध जानकारी अभी तक न दिए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों को सम्बद्ध राज्य सरकारों को भेज दिया है ताकि केन्द्रीय जल आयोग धनराशि का आकलन कर सके; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारें यह जानकारी कब तक भेजने के लिए सहमत हुई हैं?

कृषि और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (ङ) केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियां परियोजना-वार राज्यों को भेजी जाती है। मूल्यांकन दो प्रकार की प्रक्रिया से होता है जिसमें प्रेक्षणों/टिप्पणियों एवं अनुपालन का राज्यों एवं केन्द्र के बीच आदान-प्रदान किया जाता है तथा परियोजना की स्वीकृति केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना की तत्परता पर निर्भर करती है। मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा से प्राप्त बृहद् सिंचाई परियोनजाओं का विवरण एवं उनकी वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

राज्य का नाम	जांच की जा रही परियोजनाएं/राज्य सरकारों से अनुपालना की प्रतीक्षा	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की कुछ टिप्पणियों और/अथवा स्वीकृति के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं	कुल
मध्य प्रदेश	2	7	9
गुजरात	-	1	1
उड़ीसा	4	3	7
	6	11	17

बाण सागर परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को जल की आपूर्ति

2627. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बाण सागर समझौते के अन्तर्गत कनहर परियोजना से उत्तर प्रदेश को 0.25 एम.ए.एफ. जल देने का निर्णय किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश द्वारा कनहर नदी पर बांध का निर्माण करके उक्त जल को प्राप्त करना था;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की डूब क्षेत्र में आने वाली पूरी तरह से बंजर पड़ी भूमि के उपलब्ध न कराए जाने के कारण परियोजना में विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और उक्त भूमि हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?